

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय
आदेश

C.W.J.C. सं० 5983/2006 मे० गंगोत्री इलेक्ट्रोकास्टिंग लि० बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2007 एवं 10.09.2007 को पारित आदेश के द्वारा ईकाई को औ० प्रो० नीति 1999/2003 के आलोक में अनुदान देने का आदेश पारित किया गया।

उक्त आदेश के विरुद्ध सरकार द्वारा दायर L.P.A. सं० 238/2008 राज्य सरकार बनाम मे० गंगोत्री इलेक्ट्रोकास्टिंग लि० को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.2014 को पारित आदेश से खारिज कर दिया गया।

L.P.A. सं० 238/2008 राज्य सरकार बनाम मे० गंगोत्री इलेक्ट्रोकास्टिंग लि० में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.2014 को पारित आदेश के विरुद्ध एस० एल० पी० दायर करने हेतु विधि विभाग से परामर्श की मांग की गई तो विधि विभाग ने एस० एल० पी० दायर नहीं करने का मंतव्य दिया है। तदनुसार प्रधान सचिव के द्वारा न्यायादेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1993 के अनुसार लघु उद्योग के मामले में दावे को स्वीकृत करने की वित्तीय शक्ति महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रदत्त है। तदनुसार महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना ने आदेश ज्ञापांक 371 दिनांक 20.02.2015 के द्वारा मे० गंगोत्री इलेक्ट्रोकास्टिंग लि०, पटना को विद्युत अनुदान की राशि रू० 31,99,311/- (इकत्तीस लाख निन्यानबे हजार तीन सौ ग्यारह रूपए) का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

चूँकि विद्युत अनुदान में राशि उपलब्ध नहीं है, अतएव तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उद्योग मित्र, बिहार, पटना के माध्यम से मे० गंगोत्री इलेक्ट्रोकास्टिंग लि०, पटना को विद्युत अनुदान की राशि रू० 31,99,311/- (इकत्तीस लाख निन्यानबे हजार तीन सौ ग्यारह रूपए) का भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है। अनुदान मद में राशि प्राप्त होने पर उद्योग मित्र, बिहार, पटना से इसका सामंजन कर लिया जाय।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना प्राप्ति रसीद लेकर संबंधित ईकाई को अनुदान की राशि उपलब्ध कराएँगे और उसकी प्रति महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना एवं निदेशालय को शीघ्र भेजेंगे।

ह०/-

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-2/उ०नि०(मुकदमा)-08-4/2006-..... /पटना, दिनांक मार्च, 2015
प्रतिलिपि:-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत प्रेषित।

ह०/-

उद्योगनिदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-2/उ०नि०(मुकदमा)-08-04/2006-..... /पटना, दिनांक मार्च, 2015
प्रतिलिपि:- सर्वश्री गंगोत्री इलेक्ट्रोकास्टिंग लि०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उद्योगनिदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-2/उ०नि०(मुकदमा)-08-04/2006-..... /पटना, दिनांक मार्च, 2015
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ।

ह०/-

उद्योगनिदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-2/उ०नि०(मुकदमा)-08-04/2006-..... /पटना, दिनांक 16 मार्च, 2015
प्रतिलिपि:-आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Prakash Chakravarty
उद्योगनिदेशक 16.3.15
बिहार, पटना।